कार्यवाही विवरण

मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा ग्राम–राम्हेपुर के खसरा नं.–1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम बुधवारा के खसरा नं.–62/1 एवं 62/4 कुल क्षेत्रफल 24 एकड़ में प्रस्तावित न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टीलरी यूनिट क्षमता–80 किलो लीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रेस एल्कोहल (इथेनॉल)/रेक्टिफाईड स्प्रिट/एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.06.2021 समय प्रातः 11:00 बजे स्थल–भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा ग्राम–राम्हेपुर के खसरा नं.–1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम बुधवारा के खसरा नं.–62/1 एवं 62/4 कुल क्षेत्रफल 24 एकड़ में प्रस्तावित न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टीलरी यूनिट क्षमता–80 किलो लीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रेस एल्कोहल (इथेनॉल)/रेक्टिफाईड स्प्रिट/एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, दिनांक 26.05.2021 एवं दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 26.05.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 28.06.2021 को प्रातः 11:00 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की अध्यक्षता में स्थल–भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–कबीरधाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–कबीरधाम, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत राम्हेपुर, जिला– कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हरिनछपरा, जिला– कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत प्रभाटोला, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रहंगी, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पोड़ी, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लेंजाखार, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उसलापुर, जिला– कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सिल्हाटी, जिला– कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नेऊरगांवखुर्द, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तिलईभाठ, जिला– कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भालूचवा, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जरती, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सिंघनपुरी, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला–कबीरधाम क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, पर्यावास, भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 01 सुझाव वूटकुरी सुनन्दा रेड्डी, धरीतरी पर्यावरण प्रकाशन संस्था, नालगोण्डा (तेलंगाना) से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त उद्योग की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28.06.2021 को प्रातः 11.30 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की अध्यक्षता में स्थल–भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट डॉ0 दीपाली निम्बालकर, कॉ–आर्डिनेटर हेड एण्ड सीनियिर साईंटिस्ट, व्ही.एस.आई. पुणे द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना पक्ष, सुझाव, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री मुकेश ध्रुवे, सरपंच, ग्राम पंचायत– सिल्हाटी, जिला–कबीरधाम।**

➢ ऐथेनॉल फैक्ट्री के लगने से क्या लाभ होगा ? आसपास के लोग चाहते हैं कि आसपास के लोग यहां काम में लगें। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी फैक्ट्री लग रही है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम यहां काम में लगें, जिले के बाहर का कोई भी व्यक्ति न लगें। इसमें हम लोगों की ही भलाई है। धन्यवाद।

2. **श्री राजीव मानिकपुरी, सरपंच , ग्राम पंचायत– रहंगी, जिला–कबीरधाम।**

➢ मेरा यही कहना था कि प्रदूषण के संबंध में जानकारी चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि कर्मचारियों और मजदूरों को हमारे यहां रोजगार पहले मिले, यहां बहुत बेरोजगार हैं। कम से कम उनको रोजगार का अवसर मिले। शक्कर कारखाने में भी बहुत सारी जमीन हमारे काम आ रही है। मगर अभी भी हमारे जनता बेरोजगार है। तो आप सबसे निवेदन था कि ऐसा कोई नियम बनाए जिससे उन्हें रोजगार मुहैया करा सकें। उनको रोजगार मिले।

3. **श्री आनंद दास बघेल, सरपंच , ग्राम– हरिनछपरा, जिला–कबीरधाम।**

➢ मेरा एक ही सवाल है कि फैक्ट्री कब तक लग जायेगा।

4. **श्री सुनन्दा रेड्डी, इंवायरमेन्टलिस्ट, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर।**

➢ I am the first environmentalist in India to support industrial development. Congralating N.K.J. Bio Fuels Pvt.Ltd. management and supporting. Why I am supporting this industry? In my opinion unemployment is the major problem for the society. At the time of Indian Indepandent the Indian population is 35 crore and today is 135 crores. The State Govt., all State Govt. and the Central Govt. giving five lacs employment every year. But one crore people comes to employment. Remaining 95 lacs employment giving only industrial sector and corporate sector. In this regards I giving few suggestions for the development of your industry. Your consulatant is already told that baseline survey of a water takes, it is very good and safe side. My request Please collect the data health status of the people, data from research survey and ground water available status in10 Km. radious. It is very useful for the future and it is become the parameter for the effective mesurmeant. You are prapossing for your industry 24 Acre of land. In this land every year average 10 crore liter rain water receive at this area. Please collected the rain water to construct the structure and storage tank to collect the rain water. It is useful, not only for your industry but also for ground water of this area. It takes for plantation in this area & avnue plantation for the internal roads and on whose roads used for traspotation of materials to control this dust pollution. It is very useful for farmers. My request is to should give via takes a plant, fruit bearing plants and normal plants. It is very useful to control dust pollution and also available fruits in near by villagers. Please give the priorty to the local, educated and unemployed youth to

employment in your industry. My humble request to pramote skilled youth, useful gates employment in your industry. Remaining youth gates job at other places. It is great credibility comes to the management. My request is to from importation counting your Company officers, Govt. officers, PCB officers and villagers to take up plan of action for CSR budget. It is very useful and date of meaning from today demands at over. It is very essentional for village development. Please discourage target over and travels. With this accumadate great credibility to the management. My suggestion and request please whatever your enviromentlist done is very important. Once again, my best wishes and supporting the industrial development at the same time placement and please unknowledgement and the safty. I am congratulating your environmental consultancy who salf prepared this report. It is very good. I am request to public hearing bearing company to refund MoEF EC to give unconditional but necent rules to NKJ Biofuels Pvt. Ltd. Thank you for givining me opportunity. Best of luck the industry. Thank you.

5. श्री कामदत्त ऐन्द्रे, सरपंच, ग्राम–भालूचवा, जिला–कबीरधाम।

➢ आप सभी मंचस्व अधिकारी और उपस्थित जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रीय नागरिक। जो प्रदूषण के अंतर्गत यहां ऐथेनॉल स्थापना अपने क्षेत्र में इस संदर्भ में हमारी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मानव जीवन में, पशुओं में, पक्षीयों में दुष्परिणाम न मिले। शक्कर कारखाने में 5–7 सालों से लगातार जो नदी के किनारे बहाव हुआ उसमें जो पशुओं की मृत्यु हुई थी ऐसा फिर न हो। हमारा क्षेत्र जो मजदूर बहुल्य क्षेत्र, मजदूरों को बराबर इस परियोजना में इनको काम मिले और कलेक्टर दर से डायरेक्ट भर्ती लिया जाये, बीच में ठेकेदारी प्रथा को बन्द किया जाये या नया नियम बनाकर काम पर लिया जाये। बाकि हमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। कारखाने से हम सभी आसपास के सभी लोग सहमत हैं। इसमें पानी का अनाधिकृत बहाव न हो। पर्यावरण संरक्षित रहे। किसी प्रकार का दुष्परिणाम या घातक सिद्ध न हो। इसकी हम मांग करते हैं शासन से। धन्यवाद।

6. श्री निर्मल जांगड़े, ग्राम–प्रभाटोला, जिला–कबीरधाम।

➢ मैं किसान परिवार से बिलांग करता हूं । जो कि यह एक केमिकल फैक्ट्री है। यह देखने में आया है कि किस प्रकार केमिकल फैक्ट्री में वर्तमान में बडें उसके नुकसान नही दिखाई देते है। दूरगामी जो उसके पाल्युशन है आसपास के क्षेत्र है उसमें दिखाई देते हैं यहां जो ऐथेनॉल प्लाण्ट लग रहा है उससे लगा हुआ हमारा खेत है जो कि 4–5 हेक्टेयर के आसपास है यदि उसमें उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो क्या उसका मुआवजा ऐथेनॉल कम्पनी द्वारा दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा ? साथ ही साथ जो

हमारे आसपास के क्षेत्रीय स्टूडेण्ट है जो केमेस्ट्री व बॉयो टेक्नॉलाजी विषय में. यू.जी. पी.जी. विद्यार्थी है उनको कम्पनी के लोगों द्वारा किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए यदि इस प्रकार कंपनी सोचती है तो बहुत ही अच्छी पहल होगी। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री राजेश गौतम, निदेशक मे0 एन.के.जे. बायो फ्यूल प्रा0लि0 द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :—

- यह राज्य सरकार की लाभकारी परियोजना है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना उत्पादन एवं एन.के.जे बॉयो फ्युल्स के अनुबंध के तहत् लगाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य बॉयों फ्यूल्स बनाना है। बॉयो ऐथेनॉल ऐसा प्रदूषण रहित ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाने में किया जाता हैं। इस परियोजना के संचालन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, राज्य के विकास में सहायक होगी। सबसे पहला प्रश्न यह है कि उद्योग से क्या लाभ होगा? मैं बताना चाहूंगा कि यह कंपनी में बॉयों ऐथेनाल का उत्पादन बॉयोटेक्नॉलाजी विधि से किया जाएगा। इसीलिए ऐथेनॉल फैक्ट्री से जो भी अपशिष्ट निकलेंगे जिससे किसी प्रकार की जन धन की हानि नहीं होगी। जीवन स्तर में सुधार होगा आय की संभावना बढेगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढेगें। इस परियोजना को शुरू करने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। जैसा कि डॉ0 दीपाली निम्बालकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य कच्चा पदार्थ शुगर फैक्ट्री से निकलने वाला सीरा होगा। जिससे गन्ना उत्पादन में बढोत्तरी होगी। जिससे स्थानीय किसानो को लाभ होगा।

- प्रदूषण नियंत्रण की जानकारी – उद्योग लगने से दो तरह के प्रदूषण होते हैं– जल एवं वायु। स्पेन्टवॉश दूषित तरल पदार्थ है, के सालिड पार्ट को बायलर में उपयोग करेंगे। शेष तरल पदार्थ को सीटीयू टेक्नॉलाजी के माध्यम से रिसायकल किया जायेगा। बायलर से निकलने वाला वायु प्रदूषण को रोकने के लिये ईएसपी स्थापित किया जायेगा। जिसका पाल्यूशन उत्सर्जन भारत सरकार के मानदण्डों के अनुरूप रहेगा।

- फैक्ट्री कब तक लगेगी – आप सबकी सहमति से फैक्ट्री लगेगी। इंवायरमेन्ट क्लीयरेन्स की अनुमति से यह स्थापित होगी। लगभग 12–15 माह के अंदर लगेगा।

- इथेनॉल प्लाण्ट का महत्व – ग्राउण्ड वाटर का पैरामीटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीएसआर, प्रदूषण व्यवस्था, मेडिकल सुविधा की जानकारी ईआईए नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। लगभग 2 करोड़ की राशि सीएसआर में खर्च की जायेगी। एयर एवं वाटर पाल्यूशन उच्च कोटि का इन्स्ट्रूमेन्ट लगाया जायेगा। कुल क्षेत्र का 33 प्रतिशत प्लाण्टेशन किया जायेगा।

❖ उद्योग लगे ताकि स्थानीय लोगों का विकास हो। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना तथा एन.के. जे. बॉयो फ्यूल्स प्रा0लि0 अलग–अलग इकाईयां हैं। एन.के.जे. बायो फ्यूल की आज यहां जन सुनवाई है। लेबर की भर्ती कलेक्टर मद के माध्यम से कराया जाये। उद्योग में भर्ती वर्किंग योग्यता के आधार पर प्रबंधन द्वारा किया जाता है। प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा।

❖ यह केमिकल कंपनी नही है। इथेनॉल बायो फ्यूल जनरेट किया जायेगा। इसे पेट्रोल के साथ मिक्स किया जायेगा जो कि वाहन चलाने के काम आता है। दूषित जल का उपचार कंपनी बाउण्ड्रीवाल के अंदर किया जायेगा। दूषित जल बाहर निस्सारित नही होगा। प्लाण्ट जहां लगाया जा रहा है वह एक ओपन लैण्ड है एग्रीकल्चर लैण्ड नही है जिस पर कोई भी फसल नही उगाई जा रही है। जिससे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है।

❖ स्थानीय लोगों में से स्कील डेवलप्ड लोगों को लिया जायेगा। हमारे कंपनी में 164 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दिये जाने का प्रावधान है। इनडायरेक्ट तीन गुना लोग हमारे कंपनी से जुड़कर काम करते हैं। इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी की आवश्यकता व योग्यता/विशेषज्ञता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। रोजगार में प्राथमिकता हमेशा स्थानीय लोगों को ही दी जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 04 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 06 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 75 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 12.45 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–कबीरधाम